हिमालयी सह-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी

बनाम

बलवान सिंह

(सिविल अपील संख्यॉ 4360-61 वर्ष 2015)

29 अप्रैल, 2015

[एच. एल. दत्तू, सीजेआई, एस. ए. बोबडे और अरुण मिश्रा, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 227-अधिकारिता कार्यक्षेत्र के तहत- प्रत्यर्थी- आवंटन के लिए नामांकित अपीलार्थी सोसायटी के सदस्य अपार्टमेंटों के जमा राशि का भुगतान करने में चूक गए -सोसायटी ने उन्हें सदस्यता से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया -कंपनी का परिचालन समितियों के पंजीयक ने संकल्प संशोधन को मंजूरी दी। प्राधिकरण ने निष्कासन आदेश की पुष्टि की - रिट अदालत ने माना कि उत्तरदाताओं ने अधिकारियों के आदेश में हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया था। हालांकि, प्रतिवादियों के अनुरोध पर और सोसायटी के वकील द्वारा दी गई सहमति के आधार पर रिट अदालत ने सोसायटी को अतिरिक्त आवासों के निर्माण के निर्देश दिए -अपील पर माना गया याचिका में प्रार्थना अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों रद्द करने की थी -भले ही उक्त

याचिकाएं को अन्तगर्त अनुच्छेद 226 के रूप में शैलीबद्ध किया गया हो, सामग्री और प्रार्थनाएँ, जिसके तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार की आवश्यकता होती है, इसको केवल संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिकाओं के रूप में माना जा सकता है -रिट अदालत ने माना कि समाज के उत्तरदाताओं का निष्कासन उचित था-ऐसा कहने के बाद, अदालत को केवल इसलिए विवादित निर्देश जारी नहीं करने चाहिए थे कि उत्तरदाताओं के द्वारा इसके लिए अनुरोध किया गया था - न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय स्वयं को विषय वस्तु और उठाए गए मुद्दों तक सीमित रखाना चाहिए था। इसके अलावा, न्यायालय को रिट याचिका में पक्षों से पुछना चाहिए कि क्या अधिवक्ता अपीलार्थी -सोसायटी को ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत किया गया था या सोसायटी द्वारा क्या ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया गया था। क्योंकि रिट न्यायालय द्वारा सावधानी नही रखी गयी, इसलिए रिट न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश दुर्बलता से पीड़ित हैं इसलिए अपास्त किया जाता है- रियायत - सहकारी समितियाँ-दिल्ली सहकारी समितियाँ नियम, 1973 .

जयसिंह और ओआरएस। वी. दिल्ली नगर निगम और एन. आर. (2010) 9 एससीसी 385: (2010) 12 एस. सी. आर. 358 पर भरोसा किया।

अधिवक्ताः मुवक्किल के प्रति वकीलों का कर्तव्य, अधिवक्ता-मुवक्किल संबंध-अभिनिर्धारित: वकीलों को अपने मुवक्किलके प्रति वैश्वासिक कर्तव्यों का भुगतान करना पड़ता है। अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के फैसले के स्थान पर अपने फैसले को प्रतिस्थापित करने की बजाय मुवक्किल के निर्देशो का पालन करना होता है। - एक अधिवक्ता स्वयं और अपने कर्तव्यों को अत्यंत कुशलता से निभाना पड़ता है। यह अधिवक्ता का गंभीर कर्तव्य है कि मुवक्किल द्वारा उसे दिए गए अधिकार का उल्लंघन न करें। मुवक्किल किसी ऐसे बयान या स्वीकारोक्ति से बाध्य नहीं है जिसे देने के लिए वह या उसका वकील अधिकृत नहीं है-बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 1975-आरआर। 15 , 19 - अधिवक्ता अधिनियम।

पेरियार एंड पारीकन्नी रबर लिमिटेड बनाम केरल राज्य (1991) 4 एस. सी. सी. 195; सौरेन्द्र नाथ मित्रा बनाम। तरुबाला दासी ए. आई. आर. 1930 पी. सी. 158- पर भरोसा किया।

कानूनी संदर्भ

(2010) 12 एससीआर 358 पर	भरोसा किया	पैरा 16
(1991) 4 एससीसी 195 पर	भरोसा किया	पैरा 30
एआइआर 1930 पी. सी. 158 पर	भरोसा किया।	पैरा 31

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्यॉ 4360-61 वर्ष 2015 से

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 12.10.2012 और 25.11.2010 से नई दिल्ली में आर. पी. नं. 188/2011 , डब्ल्यूपी (सी) सं0 7546/2005 में।

के साथ

सिविल अपील सं0 4363-4364 , 4347-4348 , 4365-4366, 4353-4354 , 4351-4352 और 2015 की 4355-56।

जयंत भूषण, रविकेश सिन्हा, अभिजात पी. मेध अपीलार्थी।

हुज़ेफा अहमदी, एन. प्रभाकर, गोपाल झा, कौशिक पोद्दार, रंजीता रोहतगी, प्रज्ञा बघेल, जया खन्ना उत्तरदाता।

न्यायालय का आदेश दिया गया था

आदेश

1. अनुमति दे दी गई।

2. इन अपीलों को उच्च न्यायालय द्वारा 2005 की रिट याचिका सख्यॉ 7546 और संबंधित मामले में पारित निर्णय और आदेश, दिनांकित 25.11.2010 और समीक्षा/पुनर्विलोकन याचिका की 2010 की याचिका

सख्यॉं 138 और संबंधित मामले, दिनांकित 12.10.2012 में पारित निर्णय और आदेश खिलाफ निर्देशित किया जाता है। रिट याचिका में विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अधिनस्थ अदालतें/प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की है और अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वकील द्वारा दी गयी रियायत के आधार पर अपीलार्थी को कुछ निर्देश जारी किए।

3. सुविधा के लिए, हम केवल एस. एल. पी. (सी) संख्या 2013 की 9302-9303 से उत्पन्न सिविल अपीलों के तथ्यों पर ध्यान देंगे।

4. अपीलार्थी एक सहकारी समिति है जो दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के प्रावधान (संक्षेप में, "अधिनियम") के तहत पंजीकृत है । अपीलार्थी, उत्तरदाताओं सहित -150 लोगों से बना समूह है, जिन्होंने उक्त सोसायटी के साथ आवासीय क्वार्टर/अपार्टमेंट आवंटन के लिए स्वयं का नामांकन किया था । अपीलकर्ता-सोसायटी ने 28.05.1998 को ग्रुप हाउसिंग आवासीय क्वार्टरों/अपार्टमेंट के आवंटन के लिए भुगतान के सम्बन्ध में एक मांग जारी की- पर उत्तरदाता माँग के सम्बन्ध में पालन करने में विफल रहे। निरंतर मांग नोटिस जारी होने के बावजूद वे चूककर्ता बने रहे। प्रारंभिक जमा राशि के भुगतान में चूक को देखते हुए, अपीलार्थी- सोसायटी ने सम्यक विधिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद

उत्तरदाता को सोसायटी की सदस्यता से निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया था ।

5. संकल्प के लिए नियम 36 दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 (संक्षेप में, " नियम) के तहत पंजीयक सहकारी समितियाँ (इसमे प्रतिवादी संख्या 2) की पुष्टि की आवश्यकता होती है और इसलिए, उसपर विचार और अनुमोदन के लिए पंजीयक के समक्ष रखा गया था। पंजीयक द्वारा अपीलार्थी –सोसायटी के अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद और प्रक्रिया, जैसा की अधिनियम और नियमों में प्रावधान किया गया है, का अनुपालन करने के पश्चात एक आदेश दिनांकित 29.01.2004 द्वारा अपीलार्थी-सोसायटी द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हालांकि, न्याय के हित में पंजीयक ने उत्तरदाताओं को अपने बकाया का भुगतान अपीलार्थी -सोसाइटी को चार सप्ताह में करने के लिए एक अंतिम अवसर प्रदान किया है, जिसमें विफल रहने पर अपीलार्थी-सोसायटी से उनका निष्कासन प्रभावी हो जाएगा। उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त आदेश का अनुपालन नही करने पर, उक्त संकल्प की पुष्टि हो गयी और उत्तरदाता अपीलार्थी सोसायटी के सदस्य नही रहे।

6. पंजीयक के उपरोक्त आदेश दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2003 की धारा 86 (4) के तहत पीठासीन अधिकारी, दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा अपील में लाया गया था।

हालांकि, बाद में, प्रत्यर्थियों ने उक्त अपील वापस ले ली और अधिनियम की धारा 80 के तहत वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। प्राधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पक्षकारों द्वारा एल.आई.एस. पर दी गयी दलिलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और निष्कर्षित किया कि पंजीयक ने सोसायटी के सदस्य के निष्कासन की सही पुष्टि की है। पुनरीक्षण प्राधिकरण, जबकि पुनरीक्षण याचिकाओं को अपने दिनांक 24.02.2005 के आदेश द्वारा खारिज करते हुए, यह देखा है कि पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद उत्तरदाता, वे बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं और इसलिए, उनका निष्कासन उचित और उचित है।

7. पंजीयक और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित किया गये उपरोक्त आदेशों से व्यथित उत्तरदाता द्वारा रिट कोर्ट का रुख किया। उनके द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका में, पंजीयक एवं पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग करके पारित आदेशों को रद्द करने की मुख्य प्रार्थना की गई थी।

8. रिट कोर्ट, रिट याचिका में उठाए गये दलीलों पर विधिवत विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पंजीयक और पुनरीक्षण प्राधिकरण ने अपने संबंधित निष्कर्षों पर पहुंचने में कोई त्रुटि नही की है

और उत्तरदाताओं को अपीलार्थी -सोसायटी की सदस्यता से निष्कासित करने वाले प्रस्ताव की सही पुष्टि है। रिट कोर्ट ने कहा है कि कि उत्तरदाताओं ने अधिनस्थ अधिकारियों के आदेशों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया है। हालांकि, उत्तरदाताओं द्वारा किये गये एक अनुरोध पर अपीलार्थी सोसायटी को उनके लिए अतिरिक्त क्वार्टर/आवास के निर्माण और आंवटन के अनुरोध पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गयी जिसके लिए अपीलार्थी-सोसायटी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सहमत हों। न्यायालय ने आदेश दिनांकित 25.11.2010 द्वारा अपीलार्थी सोसायटी को अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के लिए और उत्तरदाताओं को उनका आवंटन के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं ।

9. दृढ़ दृष्टिकोण होने के कारण, कि, अपीलार्थी-सोसायटी ने विद्वान वकील को उत्तरदाताओं के पक्ष में कोई रियायत देने के लिए अधिकृत नहीं किया, जो रिट कोर्ट के समक्ष उनकी ओर से पेश हुआ था, उन्होंने रिट न्यायालय के उपरोक्त सामान्य निर्णय और आदेश खिलाफ समीक्षा याचिकाए दायर की थी। कहा कि समीक्षा याचिकाएं रिट कोर्ट द्वारा अपेक्षित निर्णय और आदेश में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता के सीमित प्रश्न तक ही सीमित थीं । उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिकाओं के गुण-दोषों पर विचार करने के बाद इसे अपने आदेश दिनांकित 12.10.2012 द्वारा खारिज कर दिया गया।

10. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं के साथ-साथ समीक्षा में याचिकाएँ में पारित उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी-सोसायटी इन अपीलों में हमारे सामने है।

11. हमने उभय पक्षो की और से पेश हुए विद्वान वकील को सुना है।

12. अपीलकर्ता-सोसाइटी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री जयंत भूषण का तर्क है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं में, रिट न्यायालय द्वारा निर्माण और उत्तरदाताओं को अतिरिक्त फ्लैट/अपार्टमेंट का आवंटन के संबंध में आकस्मिक और सहायक निर्देश पारित करना उचित नहीं था। अपने तर्क के समर्थन में, श्री भूषण रजिस्ट्रार, पुनरीक्षण प्राधिकरण और रिट कोर्ट के समवर्ती निष्कर्ष पर भरोसा करेंगे और प्रस्तुत करेंगे कि, उत्तरदाता वास्तव में डिफॉल्टर हैं और इसलिए, वे अपीलकर्ता-सोसायटी के सदस्य के रूप में बने रहने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, श्री भूषण यह प्रस्तुत करेंगे कि अपीलकर्ता-सोसाइटी ने किसी भी समय अपीलकर्ता-सोसाइटी के विद्वान वकील को रिट कोर्ट के समक्ष कोई रियायत देने के लिए अधिकृत नहीं किया था और ऐसी स्थिति में, रिट कोर्ट को अपीलकर्ता-सोसाइटी द्वारा किसी भी स्पष्ट सहमति के बिना केवल उसकी ओर से उपस्थित वकील द्वारा दी गई रियायत के आधार पर आगे कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए था।

13. उत्तरदाताओं के समूह की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, श्री एन. प्रभाकर का कहना है कि रिट कोर्ट ने अपीलकर्ता-सोसायटी के विद्वान वकील द्वारा दी गई रियायत के आलोक में ही विवादित निर्देश जारी किए थे। श्री प्रभाकर का कहना था कि अपीलकर्ता-सोसायटी ने रिट कोर्ट के समक्ष रियायत दे दी है, अब वह इस न्यायालय के समक्ष किसी दावे को निपटाने और समझौता करने के लिए वकील के अधिकार पर विवाद नहीं कर सकता है और इसलिए, यह प्रस्तुत करता है कि रिट कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता-सोसायटी को उक्त निर्देश जारी करना उचित था।

14. कुछ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री हुज़ेफ़ा अहमदी का तर्क है कि रिट कोर्ट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत नहीं बल्कि केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत था और इसलिए, ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते थे और किए गए हैं। रिट न्यायालय द्वारा उचित रूप से जारी किया गया। श्री अहमदी का कहना है कि चूंकि, अपीलकर्ता-सोसायटी ने इस न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे में कहा है कि कुछ अपार्टमेंट अभी भी खाली पड़े हैं, उन्हें न्याय के हित में उत्तरदाताओं को आवंटित किया जा सकता है। इसके अलावा, श्री अहमदी रिट कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का समर्थन करेंगे और प्रस्तुत करेंगे कि अपीलकर्ता-सोसायटी के लिए पेश हुए वकील ने रिट कोर्ट के समक्ष न केवल इसके लिए अपनी सहमति दी थी, बल्कि अपीलकर्ता-सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिका में भी इसे

विवादित नहीं किया था और इसलिए, अपीलकर्ता-सोसाइटी अब रिट कोर्ट के समक्ष अपने वकील द्वारा दी गई रियायत से पीछे नहीं हट सकती।

15. विचार और निर्णय के लिए जो मुद्दे उठेंगे वे हैं:

(ए) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर याचिका से निपटते समय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है?

(बी) क्या अपीलकर्ता सोसायटी की ओर से पेश होने वाला वकील सोसायटी द्वारा इस संबंध में किसी स्पष्ट निर्देश/प्राधिकरण के बिना अपीलकर्ता सोसायटी के लिए या उसकी ओर से रियायत दे सकता है?

(सी) क्या ऐसी रियायत अपीलकर्ता- सोसायटी और उसके सदस्यों को बाध्य करेगी?

(डी) चूंकि वकील द्वारा दी गई रियायत का विषय रिट कोर्ट के समक्ष मुद्दा नहीं था, क्या यह अपीलकर्ता-समाज और उसके सदस्यों को बाध्य करेगा?

16. पहले मुद्दे को हमें अधिक समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है। यह उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का रुख है, क्योंकि जो रिट याचिका दायर की गई थी वह दोनों अनुच्छेद 226 के तहत थी और भारत के संविधान की धारा 227 के अनुसार, न्यायालय रिट याचिका के गुणों की जांच करने के अलावा पूर्ण न्याय करने के लिए इसके समक्ष मुकदमा कर रहे पक्षों के बीच आकस्मिक और सहायक निर्देश भी जारी कर सकता है।

। हम सहमत नही है। जयसिंह वगै बनाम दिल्ली नगर निगम वगै0 (2010) 9 एससीसी 385 के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए हमारे विचार में यह मुद्दा अब बहस का विषय नहीं रह गया है। न्यायालय ने कहा है:

"15. हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले कुछ अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों को देख सकते हैं। निस्संदेह इस अनुच्छेद के तहत, उच्च न्यायालय के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार क्षेत्र है कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ वैधानिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण, उन्हें, उनके अधिकार की सीमा के भीतर निहित शक्तियों का प्रयोग करें। उच्च न्यायालय के पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है कि वे कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। उच्च न्यायालय को अधीक्षण और/या न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियां निहित हैं, यहां तक कि उन मामलों में भी जहां कोई पुनरीक्षण या अपील उच्च न्यायालय में नहीं है। इस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार, कुछ मायनों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति और क्षेत्राधिकार से अधिक व्यापक है। हालाँकि,

यह सुप्रसिद्ध कहावत अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जितनी अधिक शक्ति, उतनी अधिक देखभाल और उसके प्रयोग में सावधानी। इसलिए, उच्च न्यायालय से ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी, सतर्कता और सावधानी से करने की अपेक्षा की जाती है । अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त बाधाओं के भीतर होना चाहिए..."

(जोर दिया गया)

17. संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर याचिका में रिट कोर्ट की शक्ति का दायरा और सीमा, हाल ही में राधे श्याम और अन्य बनाम छवि नाथ और अन्य, 2009 की सिविल अपील संख्या 2548 के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आई थी। इस न्यायालय ने देखा कि अनुच्छेद 226 के तहत सर्टिओरारी/उत्प्रेषण का रिट हालांकि एक निचली अदालत के आदेशों के खिलाफ निर्देशित है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती से भिन्न और अलग होगा। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार बाद के मामले में आता है और यह तभी होता है जब मांगे गए उपाय का दायरा और दायरा अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

के दायरे में नहीं आता है, अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सकता है।

18. वर्तमान मामले में, सोसायटी के सदस्यों द्वारा जिसे चुनौती दी गई थी, वह अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत रजिस्ट्रार और पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश था। प्रार्थना नीचे के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की थी। भले ही उक्त याचिकाओं को अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के रूप में स्टाइल किया गया हो, लेकिन इसकी सामग्री और प्रार्थनाएं केवल पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग की आवश्यकता वाली हैं, इन्हें केवल संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिकाओं के रूप में माना जा सकता है।

19. ऐसा कहने के बाद, अब हम उन मुद्दों पर विचार करेंगे जो वर्तमान अपीलों में हमारे विचार और निर्णय के लिए आते हैं।

20. वर्तमान मामले में, याचिकाओं की विषयवस्तु रजिस्ट्रार और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पारित आदेश थे। रजिस्ट्रार और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने अपने आदेश में अपीलकर्ता-सोसाइटी को मूल राशि का भुगतान करने में चूक करने के लिए अपीलकर्ता-सोसाइटी की सदस्यता से उत्तरदाताओं के निष्कासन की वैधता पर विचार किया है। रजिस्ट्रार और पुनरीक्षण प्राधिकारी ने एक समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलकर्ता-सोसायटी

के आवश्यक राशि जमा करने के नोटिस और बार-बार अवसरों के बावजूद, उत्तरदाताओं ने डिफ़ॉल्ट को सतत रूप से जारी रखा है और इसलिए, उक्त अधिकारियों ने अपीलकर्ता-सोसाइटी द्वारा उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता-सोसाइटी की सदस्यता से निष्कासित करने के पारित प्रस्ताव की पुष्टि की है। रिट कोर्ट, आक्षेपित निर्णय और आदेश में, इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है कि चूंकि उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता-सोसायटी को मूल राशि का भुगतान करने में चूक की थी, इसलिए अपीलकर्ता-सोसाइटी का उन्हें अपीलकर्ता-सोसायटी की सदस्यता से निष्कासित करना उचित था और इसलिए, अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की।

21. रिट कोर्ट मामले की खूबियों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अपीलकर्ता-सोसायटी से उत्तरदाताओं का निष्कासन उचित था। ऐसा कहने के बाद, हमारे विचार में, न्यायालय को केवल इसलिए विवादित निर्देश जारी नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसमें उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा अनुरोध किया गया था। यदि अपीलकर्ता-सोसायटी के वकील द्वारा रियायत दी गई हो तो भी यही बात सच होगी। न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय खुद को विषय वस्तु और रिट याचिका में पार्टियों द्वारा उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रखना चाहिए था। अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का विषयांतर या विस्तार

यदि पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार की सीमा का सावधानीपूर्वक पालन नहीं किया गया तो भारत का संविधान मुकदमेबाजी के अनिश्चित द्वार खोल देगा।

22. यदि किसी भी कारण से, रिट कोर्ट ने उत्तरदाताओं द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध को न्याय के उद्देश्यों के लिए उचित ठहराया है और अपीलकर्ता-सोसायटी के वकील द्वारा की गई रियायत को स्वीकार करना चाहा है, तो उक्त अनुरोध रिट का विषय नहीं है। याचिका में न्यायालय से यह पूछने की मांग की गई कि क्या अपीलकर्ता-सोसायटी के वकील को अपीलकर्ता-सोसायटी द्वारा ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत किया गया है या क्या अपीलकर्ता-सोसायटी द्वारा इस प्रकृति के मामलों में रियायत देते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया गया है। चूँकि रिट न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा आवश्यक सावधानी नहीं बरती गई थी, इसलिए रिट न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश दुर्बलता से ग्रस्त हैं और इसलिए उन्हें रद्द करने की आवश्यकता है।

23. उपरोक्त के अलावा, हमारे विचार में वकीलों को उनके मुवक्किल के एजेंट माना जाता है। एजेंसी का कानून या एजेंट के रूप में या वकील के रूप में मुवक्किल- वकील के रिश्त पर सख्ती से लागू नहीं हो सकता है। वकीलों के पास कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य होते हैं। क्योंकि वकील भी भरोसेमंद होते हैं, उनके कर्तव्य कभी-कभी अन्य एजेंटों पर लगाए गए कर्तव्यों की तुलना में अधिक मांग वाले होंगे। प्राधिकरण एजेंसी का दर्जा

वकीलों को अनुचर के विषय पर मुवक्किल के लिए कार्य करने की अनुमति देता है। वकील-मुवक्किल संबंधों के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक यह है कि वकील अपने मुवक्किल के प्रति प्रत्ययी कर्तव्य निभाते हैं। उन कर्तव्यों के हिस्से के रूप में, वकील उन सभी पारंपरिक कर्तव्यों को मानते हैं जो एजेंटों को अपने सिद्धांतों पर देना होता है और इस प्रकार, प्रतिनिधित्व के उद्देश्यों के अनुसार न्यूनतम निर्णय लेने के लिए मुवक्किल की स्वायत्तता का सम्मान करना पड़ता है। इस प्रकार, पेशेवर जिम्मेदारी की आम तौर पर स्वीकृत धारणाओं के अनुसार, वकीलों को मुवक्किल के फैसले के स्थान पर अपने फैसले को प्रतिस्थापित करने के बजाय मुवक्किल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक वकील को किसी दावे को निपटाने और समझौता करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत किया जाना चाहिए, कि केवल अपने रोजगार के आधार पर उसके पास अपने मुवक्किल को राजिनामा/समझौते के लिए बाध्य करने का कोई निहित या प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। इसे वैकल्पिक रूप से कहें तो प्रतिधारण के आधार पर एक वकील को मुवक्किल के कानूनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन चुनने का अधिकार है, जबकि मुवक्किल को यह तय करने का अधिकार है कि लक्ष्य क्या होगा। यदि विचाराधीन निर्णय उन निर्णयों के अंतर्गत आता है जो स्पष्ट रूप से मुवक्किल से संबंधित हैं, तो वकील मुवक्किल से परामर्श

करने में विफल रहते हैं या मुवक्किल के लिए निर्णय लेने में विफल रहते हैं, इससे वकील की अप्रभावी सहायता होने की अधिक संभावना है.

24. बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 1975 (संक्षेप में, "द बीसीआई नियम"), भाग छठे में, अध्याय दूसरा अधिवक्ता अधिनियम, 1972 (संक्षेप में, "अधिनियम, 1972") के तहत सभी अधिवक्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले 'व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों' का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में अध्याय II में, बीसीआई नियम निम्नानुसार प्रावधान करते हैं:

> "एक वकील को, हर समय, न्यायालय के एक अधिकारी, समुदाय के एक विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य और एक सज्जन व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप आचरण करना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि एक व्यक्ति के लिए क्या वैध और नैतिक हो सकता है बार का सदस्य न होना, या बार के किसी सदस्य के लिए अपनी गैर-पेशेवर क्षमता में होना अभी भी एक वकील के लिए अनुचित हो सकता है। पूर्वगामी दायित्व की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक वकील निडर होकर अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करेगा और अपने आचरण में इसके बाद उल्लिखित नियमों का अक्षरशः और भावात्मक

रूप से पालन करेगा। इसके बाद उल्लिखित नियमों में सामान्य मार्गदर्शकों के रूप में अपनाए गए आचरण और शिष्टाचार के सिद्धांत शामिल हैं; फिर भी उसके विशिष्ट उल्लेख को अन्य समान रूप से अनिवार्य अस्तित्व के इनकार के रूप में नहीं माना जाएगा, हालांकि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।"

(जोर दिया गया)

25. प्रस्तावना यह अनिवार्य बनाती है कि एक अधिवक्ता को स्वयं का आचरण और अपने कर्तव्यों को अत्यंत कुशलता एवं जिम्मेदार तरीके से निभाना पड़ता है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो बार का सदस्य नहीं है या बार के सदस्य के लिए अपने गैर-पेशेवर क्षमता में क्या उपयुक्त और वैध हो सकती है, अपने पेशेवर क्षमता में एक वकील के लिए अनुचित हो सकता है।

26. उक्त अध्याय दो की धारा दो में एक वकील के अपने मुवक्किल के प्रति कर्तव्यों का प्रावधान है। बीसीआई नियमों के नियम 15 और 19, विषय वस्तु से प्रासंगिक हैं और इसलिए, उन्हें नीचे दिया गया है:

"15. एक वकील का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने या किसी अन्य के लिए किसी भी अप्रिय परिणाम की परवाह किए बिना सभी निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीकों

से अपने मुवक्किल के हितों को निडरता से बनाए रखे। वह अपनी व्यक्तिगत परवाह किए बिना किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति का बचाव करेगा। अभियुक्त के अपराध के बारे में राय, यह ध्यान में रखते हुए कि उसकी निष्ठा कानून के प्रति है जिसके लिए आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त सबूत के बिना दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

19. एक वकील अपने मुवक्किल या अपने अधिकृत एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के निर्देशों पर कार्य नहीं करेगा।"

27. जबकि नियम 15 में कहा गया है कि वकील को अपने या किसी अन्य के लिए किसी भी अप्रिय परिणाम की परवाह किए बिना निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीकों से अपने मुवक्किल के हितों को बनाए रखना चाहिए। नियम 19 में कहा गया है कि एक वकील केवल अपने मुवक्किल या उसके अधिकृत एजेंट के निर्देशों पर कार्य करेगा। इसके अलावा, उक्त खंड दूसरे के अध्याय पहले में बीसीआई नियम यह प्रावधान करते हैं कि अधिनियम, 1972 की धारा 30 में उल्लिखित कानून के पेशे के अभ्यास के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ प्रतिबंधों के अधीन होंगे। ऐसे प्रतिबंधों में से एक खंड (सीसी) में निहित इस प्रकार है:

"(सीसी) हालांकि, एक वरिष्ठ वकील, कनिष्ठ वकील के निर्देश पर अपने मुवक्किल की ओर से बहस के दौरान रियायतें देने या वचन देने के लिए स्वतंत्र होगा।"

28. इसके अलावा, कानूनी समुदाय के भीतर पेशेवर और नैतिक मानकों में विकास की मान्यता में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आचार संहिता कुछ नियमों का प्रावधान करती है जिसमें आचरण और शिष्टाचार के सिद्धांत शामिल हैं जो अभ्यास एवं पेशे के लिए सामान्य मार्गदर्शक के रूप में काम करते है। उक्त संहिता का यह अध्याय मुवक्किल के प्रति एक वकील के कर्तव्य का प्रावधान करता है। इसके तहत नियम 26 में कहा गया है कि "एक वकील अपने मुवक्किल के उचित और विशिष्ट निर्देशों के बिना कोई समझौता या रियायत नहीं देगा।" यह ध्यान रखना उचित है कि संहिता के तहत एक वकील में स्पष्ट रूप से अधिवक्ताओं का एक समूह और एक कानूनी फर्म शामिल है जिसका भागीदार या सहयोगी मुवक्किल के लिए कार्य करता है।

29. इसलिए, बीसीआई नियम यह आवश्यक बनाते हैं कि प्रैक्टिस की विशिष्ट कानूनी धारा, बार में वरिष्ठता या वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में एक वकील के पदनाम के बावजूद, न्यायालय के समक्ष रियायतें देने के मामले में नैतिक कर्तव्य और पेशेवर मानक समान रहें। . वकीलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पक्ष के लिए और उनकी ओर से न्यायालय के

समक्ष कोई भी रियायत/बयान देने से पहले पक्षकारों या अधिकृत एजेंट से आवश्यक निर्देश प्राप्त करें।

30. हालॉकि बीसीआई नियम और अधिनियम न्यायालय के समक्ष मुवक्किल की ओर से कोई रियायत देने से पहले एक वकील को निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता पर कोई अपवाद नहीं देता है, पेरियार और पारिकन्नी रबर लिमिटेड बनाम केरल राज्य (1991)4 एससीसी195 में इस न्यायालय ने न्यायालयों के समक्ष दिए गए बयानों के संबंध में महाधिवक्ता की सामान्य स्थिति और जिम्मेदारी की स्थिति पर ध्यान दिया गया। उक्त अवलोकन इस प्रकार है:

> "19 ट्रायल कोर्ट में सरकारी वकील द्वारा दी गई कोई भी रियायत सरकार को बाध्य नहीं कर सकती है क्योंकि राज्य की ओर से पेश वकील द्वारा दी गई गलत या त्रुटिपूर्ण या अनियंत्रित रियायत पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से, हमेशा, असुरक्षित होता है जब तक कि यह निर्देशों जिम्मेदार अधिकारी से लिखित में न हो। । अन्यथा यह सरकारी खजाने पर अनुचित और अनावश्यक रूप से भारी बोझ डालेगा। लेकिन जब महाधिवक्ता ने बार में कोई बयान दिया है तो वही मानदंड लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि महाधिवक्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान देता है।"

देखें: जोगिंदर सिंह वासु बनाम पंजाब राज्य 1994 एससीसी (1) 184

31. सौरेंद्र नाथ मित्रा बनाम तरुबाला दासी, एआईआर 1930 पीसी 158 के मामले में प्रिवी काउंसिल ने निम्नलिखित दो टिप्पणियां की हैं जो वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक हैं:

> "दो टिप्पणियाँ जोड़ी जा सकती हैं। सबसे पहले, वकील का निहित अधिकार कार्यालय का उपांग नहीं है, न्यायालयों द्वारा कानून में बैरिस्टर या वकील की स्थिति में जोड़ी गई एक गरिमा। यह मुवक्किल के हितों में निहित है, देने के लिए वकील के रूप में उनके रोजगार पर पूर्ण लाभकारी प्रभाव। दूसरे, निहित प्राधिकारी को हमेशा मुवक्किल के स्पष्ट निर्देशों द्वारा निरस्त किया जा सकता है। किसी भी वकील को अपने मुवक्किल के स्पष्ट निर्देशों के विरुद्ध मामले को निपटाने का वास्तविक अधिकार नहीं है। यदि वह ऐसे स्पष्ट निर्देशों को अपने मुवक्किल के हितों के विपरीत मानता है, तो उसका उपाय अपना संक्षिप्त विवरण वापस करना है। "

(देखें: जमीलाबाई अब्दुल कादर बनाम शंकरलालगुलाबचंद, (1975) 2 एससीसी609, स्वेन्स्का हैंडल्सबैंकन बनाम इंडियन चार्ज क्रोम लिमिटेड, 1994 एससीसी (2) 155

32. इसलिए, एक अधिवक्ता का यह गंभीर कर्तव्य है कि वह मुवक्किल द्वारा उसे दिए गए अधिकार का उल्लंघन नही करें। कोई भी रियायत देने से पहले मुवक्किल या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता से उचित निर्देश लेना हमेशा बेहतर हो जो, प्रत्यक्ष या दूरस्थ रूप से, ग्राहक के वैध कानूनी अधिकार को प्रभावित करता है। अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करता है और मुवक्किल की ओर से कार्यवाही करता है। वह न्यायालय एवं मुवक्किल के बीच एकमात्र कडी है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी भारी है, उससे अपेक्षा की जाती कि वह अपने मुवक्किल के निर्णय को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसके निर्देशों का पालन करे।

33. आम तौर पर, एक वकील द्वारा किए गए तथ्य की स्वीकृति उनके प्रधानों पर तब तक ही बाध्यकारी है जब तक वे स्पष्ट हैं; हालांकि, जहां, एक कथित स्वीकारोक्ति के बारे में संदेह मौजूद है, न्यायालय को इस तरह के स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने के लिए तब तक सावधान रहना चाहिए जब तक कि वकील या अधिवक्ता अपने प्रधानाचार्य द्वारा इस तरह के स्वीकारोक्ति करने के लिए अधिकृत न हो। इसके अलावा, एक ग्राहक किसी ऐसे बयान या स्वीकारोक्ति से बाध्य नहीं है जो वह या उसका

वकील करने के लिए अधिकृत नहीं था। वकील के पास आम तौर पर ऐसी स्वीकारोक्ति या बयान देने का कोई निहित या स्पष्ट अधिकार नही होता जो ग्राहक के महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों को सीधे आत्मसमर्पण या समाप्त कर दे, जब तक कि ऐसी स्वीकृति या कथन स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उचित कदम नहीं है जिसके लिए वकील को नियुक्त किया गया था। हम यह जोड़ने के लिए जल्दी करते हैं कि न तो ग्राहक और न ही न्यायालय कानून या कानूनी निष्कर्षों के मामलों के लिए वकील के बयानों या स्वीकारोक्ति से बंधा होता है। इस प्रकार, पेशेवर जिम्मेदारी की आम तौर पर स्वीकृत धारणाओं के अनुसार वकीलों को मुवक्किल के निर्देशों का पालन करना चाहिए, ना कि मुवक्किल के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय देना चाहिए। हम कह सकते हैं कि कुछ मामलों में, वकील बिना मुवक्किल से सलाह लिए निर्णय ले सकते हैं, जबकि अन्य में, निर्णय मुवक्किल के लिए आरक्षित है। अक्सर कहा जाता है कि वकील मुवक्किल से परामर्श किए बिना रणनीति के बारे में निर्णय ले सकता है, जबकि मुवक्किल के पास ऐसे निर्णय लेने का अधिकार है जो उसके अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। हमारा इरादा इस चर्चा को आगे बढ़ाने का नही है। हम लॉर्ड ब्रोहम का एक प्रसिद्ध कथन पर गौर करके निष्कर्ष निकाल सकते हैः

" एक अधिवक्ता, अपने कर्तव्य के निर्वहन में संसार में एक ही व्यक्ति को जानता है और वह व्यक्ति उसका मुवक्किल है।'

34. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों को स्वीकार करते हुए, हम रिट कोर्ट द्वारा अपीलार्थी-सोसायटी को जारी किए गए निर्देशों के साथ साथ समीक्षा याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को को भी रदद करते है।

तदनुसार आदेश दिया।

डी देविका गुजराल

अपीलें स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **सुनील कुमार यादव- विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम संख्यॉ 04, जयपुर राजस्थान** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।